

- 2- चूंकि बढ़ी हुई भूमि भी पूर्व की एच.एच. लेण्ड ही है अतः योजना का नियमन शुल्क नियमानुसार 180/=- रु. प्रति वर्ग गज के हिसाब से लिया जावे ।
 - 3- उन अधिकारियों के खिलाफ प्रारम्भिक जांच की जाये जिन्होंने बी.पी.सी. में अनुमोदित मानचित्र के स्थान पर डिमाकैटेड प्लान को जारी किया । प्रारम्भिक जांच के परिणाम के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी ।
- 1.2- एजेण्डा सं0 23/2001- 2 :- आनन्द भवन गृ.नि.स. समिति की योजना गंगा कॉलोनी :-
- वरिष्ठ नगर नियोजक काॅर्पोरेटिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जौन बी-2 द्वारा बताया गया मौके की स्थिति के आधार पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -
- 1- भूखण्ड सं0 3,20,41,42 और 43 में से एच.टी. लाईन गुजरती है अतः इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया ।
 - 2- भूखण्ड सं0 25,44 और 37 के कुछ भाग में होकर एच.टी. लाईन गुजरती है अतः सुरक्षा की दूरी को बनाये रखते हुए कम निर्मित आवासीय क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया ।
 - 3- योजना के सामने तिरसी रोड़ की चौड़ाई मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार 160 फिट चौड़ी प्रस्तावित है जिससे इस रोड़ के आर.ओ.डब्ल्यू. में आ रही सभी दुकानों को निरस्त किया गया । इस रोड़ के आर.ओ.डब्ल्यू. के बाद में उपलब्ध भूमि जो कि लगभग 25 फिट चौड़ी पट्टी के रूप में उपलब्ध है में जयपुर विकास प्राधिकरण की दुकानें अंकित की जाये । इन दुकानों को या तो नीलामी में बेचा जायेगा या जिन दुकानों को रोड़ के कारण हटाया जायेगा, उन्हें बसाने में काम में लिया जावेगा ।
 - 4- योजना में अंदर की सभी रोड़ 25 फिट अनुमोदित की गयी ।
 - 5- भूखण्ड सं0 1 को 22 और 23 की सीध में ही अनुमोदित किया गया । भूखण्ड सं0 22 और 23 केवल आवासीय प्रयोजनाई अनुमोदित किए गए ।

6- भूखण्ड सं० 50 से 60 के पश्चिम में उपलब्ध रोड़ का आगे तक पी.टी. सर्वे करवाया जाये और उसके अलायन्मेन्ट को पोल्ट्री फार्म की उपलब्ध भूमि के साथ देखा जाये और पी.टी. सर्वे के आधार पर ही यह तय किया जावे कि इस प्रश्नगत रोड़ का अलायन्मेन्ट क्या होगा, वह 40 फिट रहेगी या 60 फिट या 80 फिट । इस निर्णय के आधार पर भूखण्ड सं० 50 से 60 का अनुमोदन किया जाए ।

7- योजना में भूखण्ड सं० 8, 11 और 12 नम्बर के भूखण्ड उपलब्ध नहीं है ।

1.3- एजेण्डा सं० 23/2001-3 :- जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीराम कॉलोनी :-

वरिष्ठ नगर नियोजक कापरेटिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1- योजना में प्रस्तावित सभी 20' व 25' चौड़ी सड़कों को 30' अनुमोदित किया गया क्योंकि ये सभी सड़के थोरो सड़के है ।

2- भूखण्ड सं० 1 व 73 ए के बीच की सड़क न्यू सांगानेर रोड़ में आने वाली सड़क को जोड़ती है अतः इस सड़क की चौड़ाई 25' के स्थान पर 40' अनुमोदित की गयी ।

3- भूखण्ड सं० 7ए, 7बी में से एच.टी. लाईन गुजरती है अतः इन्हें अनुमोदित नहीं किया गया ।

4- योजना में प्रस्तावित फेसिलिटी क्षेत्र में से एच.टी. लाईन गुजरती है अतः उसके मौके की स्थिति के अनुसार रोड़ अंकित किया जावे ।

5- भूमि पार्ट-सी की अवाप्ति में है जिसका अवार्ड दिनांक 27-7-89 को जारी हुआ है और 19-10-84 को भूमि का कब्जा प्राधिकरण द्वारा ले लिया गया है । अतः भूमि को राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों के अनुसार अवाप्त भूमि की श्रेणी में माना जाकर 345/= रु. प्रति वर्ग गज या आरक्षित दर की 25% जो भी अधिक हो ली जाकर नियमन किया जावे ।



6- सड़कों को चौड़ा करने के पश्चात् भी आवासीय क्षेत्रफल 66.08% रहता है। अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प-5१3१नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 के अनुसरण में शिथिलता प्रदान करते हुए अधिक आवासीय क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया।

1.4- एजेण्डा सं० 23/2001-4 :- अम्बेश्वर गृ.नि.स. समिति की योजना स्कीम नं० 1 :-

वरिष्ठ नगर नियोजक {कांपरेटिव} द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जौन बी-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

- 1- योजना में प्रस्तावित 20' व 25' चौड़ी सड़कों को इसी रूप में अनुमोदित किया गया।
- 2- योजना 1081.00 वर्ग गज अधिक भूमि पर निर्मित है। अतः इसे नियमानुसार राजकीय भूमि मानकर नियमन किया जावे।
- 3- योजना में आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्रफल 80.13% है और मौके पर पूर्णतया: निर्मित योजना है। अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प-5१3१नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 के अनुसरण में शिथिलता प्रदान करते हुए अधिक आवासीय क्षेत्रफल अनुमोदित किया गया।
- 4- भूखण्ड सं० 13 के अनुमोदन से पूर्व देखा जाए कि यह किसी रोड़ लिंक को अवरुद्ध तो नहीं करता है।
- 5- योजना में न्यू सांगानेर रोड़ पर 15 दुकानें {जीरो स्टेडिंक पर} अनुमोदित की गईं और दुकान नम्बर 14, 15 की गहराई कम की गई।

1.5- एजेण्डा सं० 23/2001-5 :- छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति की योजना श्री गणेश कालोनी :-

वरिष्ठ नगर नियोजक {कांपरेटिव} द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जौन बी-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। बाद विचार-विमर्श योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -




- 1- मंदिर दर्शित प्लॉट एवं भूखण्ड सं० 91 से 99 को सुविधा क्षेत्र अंकित किया जावे ।
 - 2- भूखण्ड सं० 93 के पश्चिम में स्थित भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया । इसका आधा भाग 80 फिट चौड़ी रोड़ में आता है और बचा हुआ शेष आधा भाग को सुविधा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाये ।
 - 3- भूखण्ड सं० 30 से 40 के उत्तर में सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 40' चौड़ी सेक्टर रोड़ को समाप्त करने का निर्णय लिया गया गया क्योंकि यह प्रस्तावित रोड़ 80' चौड़ी रोड़ के काफी नजदीक है और उसके समानान्तर है ।
 - 4- प्रश्नगत भूमि पूरी अवाप्त भूमि की श्रेणी में आती है । तदनुसार 345/= रु. प्रति वर्ग गज नियमन शुल्क ली जावें ।
 - 5- मौके पर उपलब्ध सभी दुकानों को निरस्त किया जाये ।
- 1.6- एजेण्डा सं० 23/2001- 6 :- राजहंस कां-आपरेटिव सोसायटी की योजना लक्कुश नगर-1 में दशायि पार्क व आरक्षित भूमि में स्थित गणेश नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में :-
- वरिष्ठ नगर नियोजक {कापरेटिव} द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त, जौन बी-2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । बाद विचार-विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये :-
- 1- समिति की लक्कुश नगर-1 योजना दिनांक 29-1-83 को स्वीकृत की गयी थी तथा इस योजना की विवादित भूमि भी वर्ष 1981 में ही समिति द्वारा क्रय कर ली गयी थी । इसलिए लक्कुश नगर योजना में अनुमोदित फैसिलिटी एरिया में दुबारा से समिति द्वारा प्रस्तावित की गई गणेश नगर योजना को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया ।
 - 2- फैसिलिटी एरिया में स्थित बाउण्ड्री वालों व निर्माण को हटा कर इस भूमि का कब्जा कर जे.डी.ए. सम्पत्ति का बोर्ड लगाया जावें और जे.डी.ए. द्वारा फैसिलिटी एरिया की तुरन्त चार-दिवारी भी बनाई जाए ।
- 1.7- एजेण्डा सं० 23/2001-7 :- इन्द्रा गृ.नि.स. समिति की योजना नित्यानन्द नगर-ए के भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत :-



उपायुक्त, जौन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा तथा उपायुक्त, जौन बी-2 एवं अति-आयुक्त भू-रूपान्तरण द्वारा बतायी गयी मौक़े की स्थिति के आधार पर निम्नांकित निर्णय लिये गये -

- 1- कैम्प के समय लिए गए निर्णय के सन्दर्भ में, भूखण्ड सं० ए-43, ए-46 एन से ए-46, ए-51 से ए-54, ए-79 से ए-82, ए-106 से ए-117 कुल 24 भूखण्डों को अनुमोदित किया गया। इन भूखण्डों का एक बार बिना ब्याज कैम्प लगाया जाए।
- 2- भूखण्ड सं० ए-10, ए-11, ए-22 से ए-26, ए-61, ए-62 एवं ए-28 एन से ए-34 एन के भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र में अंकित किया जाये। क्योंकि इन भूखण्डों को नियमन कराने की किसी भी इच्छा व्यक्त नहीं की है।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय कांपरेटिव
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कांपरेटिव/2001/डी-225

दिनांक : 22/9/2001

प्रतिलिपि: -

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 3- निदेशक आयोजना/विधि/वित्त/अभियंत्रिकी जविप्रा, जयपुर।
- 4- अति-आयुक्त भू-रूपान्तरण जविप्रा, जयपुर।
- 5- उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जौन बी-2, जविप्रा, जयपुर।
- 6- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,
बीपीसी-11 कांपरेटिव